


1	प्रधानाचार्य, आराउमावि गोंग, जालोर	श्री पाबूराम, व्या. आराउमावि गोंग, जालोर	रानीवाड़ा
2	प्रधानाचार्य, राबाउमावि अरथुना, बांसवाड़ा	श्री लोकेन्द्र कुमार पाटीदार, व्या. राबाउमावि अरथुना, बांसवाड़ा	गढी
3	प्रधानाचार्य, राउमावि डोकर, बांसवाड़ा	श्री विनोद कुमार मीणा, व्या. राउमावि डोकर, बांसवाड़ा	बागीदोरा
4	प्रधानाचार्य, राउमावि नाहरपुरा, बांसवाड़ा	श्री सूरजमल गरासिया, प्रधानाचार्य, राउमावि चोरडी, बांसवाड़ा	बागीदोरा
5	प्रधानाध्यापक, रामावि ठठाना, कुचामन, नागौर	श्री भंवरलाल जाखड़, व्या. राआउमावि पदमपुरा, कुचामनसिटी, नागौर	नावासिटी
6	प्रधानाध्यापक, रामावि करवड़, कोटकासिम, अलवर	श्री दिनेश चन्द्र सैनी, व्या. राआउमावि बीबीरानी, कोटकासिम, अलवर	कोटकासिम
7	प्रधानाचार्य, राउमावि कुशलपुरा बकानी, झालावाड़	श्री नेहरू लाल मीणा, व्या. राउमावि कुशलपुरा बकानी, झालावाड़	झालरापाटन


www.rajteachers.com


 वित्तीय सेलाहकार,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

कमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/18-19/
 प्रतिलिपि:

दिनांक: 11.04.2019

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


 वरिष्ठ लेखाधिकारी, 11/4/19
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर:-

कार्यालय आदेश:-

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी(ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No. F6(6) FD/ Rules/2010 Dated 25-04-12 के प्रावधानुसार महात्मा गाँधी चिकित्सालय जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की अभिशंषा तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, बाडमेर की अभिशंषा पर श्रीमती रूपादेवी, प्रबोधक राउप्रावि, जीनगरों का वास प.स.समदडी बाडमेर को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक 10.04.2019 से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती रूपादेवी प्रबोधक को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

www.rajteachers.com

आज्ञा से
निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, विभाग एवं
पंचायती राज(प्रारंभिक शिक्षा)
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/1055/वि.भत्ता/जोधपुर मण्डल/19/ दिनांक-11/04/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, बाडमेर को रजिस्टर्ड डाक से सलंगन मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित।
2. श्रीमति रूपादेवी, प्रबोधक राउप्रावि, जीनगरों का वास प.स.समदडी बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

11.4.19
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर